न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 47 / 2024
निर्णय दिनांक : 06.06.2024
GCMS NO : 2024/122

ज्ञाना राम पुत्र केशाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी वार्ड नम्बर 35, सालासर रोड़, सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री ज्ञाना राम, प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

1. संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी वाके रोही ग्राम दुलिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में खाता संख्या 155 में अंकित खेत खसरा संख्या 381 रकबा 2.9083 हैक्टेयर व खसरा संख्या 386 रकबा 0.5058 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.4141 हैक्टेयर दर्ज स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम ज्ञानाचन्द पुत्र केशाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दुलिया खातेदार अंकित है जो कि गलत है।
2. प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम ज्ञाना राम पुत्र केशाराम है जो प्रार्थी के दस्तावेजों में है। प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में नाम गलत होने के कारण प्रार्थी को मिलने वाले सरकारी फायदों से महरूम होना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करवाना चाहता है। जिसका उसको कानूनन अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी के खातेदारी के खेत वाके रोही ग्राम दुलिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है, जिसका क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है।
3. प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही ग्राम दुलिया तहसील सुजानगढ़

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

जिला चूरू में खाता संख्या 155 में अंकित खेत खसरा संख्या 381 रकबा 2.9083 हैक्टेयर व खसरा संख्या 386 रकबा 0.5058 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.4141 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम ज्ञानाचन्द पुत्र केशाराम अंकित है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजों में नाम ज्ञानाराम पुत्र केशाराम दर्ज है। ज्ञानाचन्द व ज्ञानाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में ज्ञानाराम पुत्र केशाराम किया जाना उचित है।

4. रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5. पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा आधार कार्ड की फोटोप्रति तथा राशन कार्ड की प्रति आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम ज्ञानाराम पुत्र केशाराम ही दर्ज है। अतः मुताविक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

6. प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम दुलिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में खाता संख्या 155 में अंकित खेत खसरा संख्या 381 रकबा 2.9083 हैक्टेयर व खसरा संख्या 386 रकबा 0.5058 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.4141 हैक्टेयर में क्रम संख्या 03 पर सहखातेदार के रूप में प्रविष्ट प्रार्थी का नाम ज्ञानाचन्द पुत्र केशाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दुलिया खातेदार के स्थान पर ज्ञानाराम पुत्र केशाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दुलिया खातेदार दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

7. निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू
सत्यमेव जयते